प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,** उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,** जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।

पत्रांकः—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड ई./2019—20/16/ 8038-3 दिनांकः 23-12-19

विषयः— चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की दिनांक 09.12.2019 को आहूत वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 09 दिसम्बर 2019 को प्रदेश के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यकमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही साथ अनुपालन आख्या प्रमुख सचिव, महानिदेशालय एवं मिशन निदेशक कार्यालय को 07 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीया,

(जसजीत कौर)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड ई./2019—20/16/ तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
8. वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
10. वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू.,एन.एच.एम.,उ0प्र0।
11. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनामिका मिश्रा)
महाप्रबन्धक, एम0एण्ड ई0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,** उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,** जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड ई./2019–20/16/ दिनांकः 23-12-19

विषयः– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की दिनांक 09.12.2019 को आहूत वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 09 दिसम्बर 2019 को प्रदेश के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही साथ अनुपालन आख्या प्रमुख सचिव, महानिदेशालय एवं मिशन निदेशक कार्यालय को 07 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीया,

(जसजीत कौर)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड ई./2019–20/16/ 8038-3(11) तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
8. वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
10. वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू.,एन.एच.एम.,उ0प्र0।
11. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनामिका मिश्रा)
महाप्रबन्धक, एम0एण्ड ई0

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनॉक 09 दिसम्बर 2019 का कार्यवृत्त

सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 09 दिसम्बर 2019 को प्रदेश के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, निदेशक– परिवार कल्याण, तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, परिवार कल्याण महानिदेशालय तथा राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। मण्डल/जनपद स्तर से समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका–जिला स्तरीय चिकित्सालय, जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं प्रबंधकों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग बैठक के दौरान दिये गये निर्देश निम्नवत हैं–

एन0जी0टी0/बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट–

1. निर्देशित किया गया कि बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हेतु निर्मित बी0एम0डब्ल्यू0–एम0आई0एस0 की अद्यतन स्थिति का शासन स्तर पर अनुश्रवण किया जा रहा है। अतः बी0एम0डब्ल्यू0–एम0आई0एस0 का नियमित रूप से प्रयोग करना सुनिश्चित करें।
2. निर्देशित किया गया कि बायो मेडिकल वेस्ट कलैक्शन शेड का निर्माण 30 दिसम्बर 2019 तक पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें तथा निर्माण समबन्धी सूचना भी ससमय राज्य स्तर पर प्रेषित करें।
3. निर्देशित किया गया कि डीप ब्यूरल पिट का जनपद स्तर पर समन्वय करते हुये 30 दिसम्बर तक निर्माण सुनिश्चित करायें।
4. जनपद स्तर पर आयोजित की गयी एन0जी0टी0 की बैठक की सूचना एवं कार्यवृत्त 10.12.2019 तक राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
5. निजी चिकित्सालयों/ नर्सिंग होम के लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करायें। किये गये निरीक्षण की सूचना अद्यतन करायें तथा इसके आधार पर नोटिस जारी करायें जिसकी प्रतिलिपि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवश्य करें।
6. बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट के अर्न्तगत 13 जनपदों द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं किये गये हैं तथा 07 जनपदों द्वारा अनुबन्ध की सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शीघ्रातिशीघ्र अनुबंध हस्ताक्षरित करते हुये सूचना राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
7. बायो मेडिकल वेस्ट मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष माह अक्टूबर 2019 तक 23 जनपदों के जिला स्तरीय चिकित्सालयों तथा 17 जनपदों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा शून्य व्यय किया गया है। निर्देशित किया गया कि उपलब्ध बजट के सापेक्ष नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करें।

यू0पी0एच0एस0एस0पी0 के द्वारा जनपद स्तर पर थर्ड पार्टी के माध्यम से लिये गये मानव संसाधन के विषय में निर्देश–

8. यू0पी0एच0एस0एस0पी0 द्वारा आच्छादित 38 जनपदों के 51 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में पैरामेडिकल कर्मियों को प्रमुख सचिव महोदय के दिशा निर्देशानुसार आउट सौंसिग के माध्यम से लिया जाना था। निर्देशित किया गया कि राज्य स्तर से जारी दिशा–निर्देश के अनुसार पैरामेडिकल कर्मियों का चयन करना सुनिश्चित करें।

9. जनपदों द्वारा किये गये अनुरोध के आधार पर जनपद हरदोई, फिरोजाबाद, इटावा, मिर्जापुर, बरेली, अम्बेडकरनगर, कुशीनगर, लखनऊ एवं बांदा के लिये चयन प्रकिया को पूर्ण करने हेतु समय सीमा 31.12.2019 कर दी गई है। निर्देशित किया गया कि पैरामेडिकल कर्मियों का चयन तय समय–सीमा (31 दिसम्बर 2019 तक) में करना सुनिश्चित करें। यदि किसी जनपद में अभी चयन प्रक्रिया में अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, तो जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करके 02 दिन के अन्दर शासन को पत्र के माध्यम से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर–

10. हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर का निर्माण एवं ब्रांडिग शीघ्रातिशीघ्र करवाना सुनिश्चित करें। निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के अनुसार 2888 हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर को नियमानुसार क्रियाशील करना सुनिश्चित करें।
11. हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर में औषधि एवं उपकरणों की व्यवस्था की जाये तथा समस्त सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मियों/आशाओं को गैर संचारी रोग के मॉड्यूल में शीघ्रातिशीघ्र प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित करें।
12. समस्त हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर जनमानस हेतु दिशा–निर्देशों के अनुसार आवश्यक जांचें उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर योगा सत्र आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें।
13. हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर कार्यरत सी0एच0ओ0 को परफारमेंस बेस्ड इन्सेंटिव (पी0बी0आई0) का भुगतान ससमय किया जाये तथा सी0एच0ओ0 के माध्यम से सेण्टर की दैनिक एवं मासिक रिर्पोटिंग भी सुनिश्चित करें।
14. हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर आने वाली समस्त 30 वर्ष से अधिक की महिलाओं की एन0सी0डी0 एप्लीकेशंन का प्रयोग करते हुये स्क्रीनिंग करवाना सुनिश्चित करें।
15. समस्त अपर निदेशक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी अपने स्तर पर हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर की गतिविधियों का अनुश्रवण एवं समीक्षा भी सुनिश्चित करें।

सघन मिशन इन्द्रधनुष अभियान–2.0–

16. निर्देशित किया गया कि अभियान के अर्न्तगत लक्ष्य के सापेक्ष शत–प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण किया जाये तथा छूटे हुये बच्चों को भी अभियान के अर्न्तगत आच्छादित करना सुनिश्चित करें।
17. सुनिश्चित करें कि टीकाकरण हेतु नामित सुपरवाइजर नियमित रूप से सत्रों का निरीक्षण करें। साथ ही साथ अपर निदेशक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा भी अभियान का सघन अनुश्रवण करना सुनिश्चित किया जाये।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना –

18. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को अवगत कराया गया कि मातृत्व वंदना सप्ताह जो 2 दिसम्बर 2019 से 8 दिसम्बर 2019 तक चल रहा था, को दो दिनों (09 एवं 10 दिसम्बर 2019) हेतु विस्तारित किया गया है। निर्देशित किया गया कि गतिविधि का दिशा–निर्देशों के अनुसार आयोजन करवाना सुनिश्चित करें।
19. गतिविधि के अन्तर्गत शामली, बहराइच, फर्रूखाबाद, बदायु, श्रावस्ती, मऊ, कन्नौज, उन्नाव, अमेठी एवं कासगंज के द्वारा बहुत कम पंजीकरण किये गये हैं। निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा लाभार्थियों का अप्रूवल एवं इन्सटालमेन्ट लम्बित न रखा जाए तथा करेक्शन में आए प्रपत्रों का निराकरण उसी दिन प्राथमिकता

के आधार पर कर दिया जाए।

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम–

20. निर्देशित किया गया कि टी0बी0 के 09 संकेतांकों के आधार पर साप्ताहिक समीक्षा किया जाना तथा टी0बी0 के नये रोगियों की पहचान एवं समस्त रोगियों का उपचार कराया जाना सुनिश्चित करें।
21. निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक आशाओं को डॉट्स प्रोवाइडर के रूप में प्रयोग करना सुनिश्चित करें।
22. निःक्षय पोषण योजना में नवम्बर माह में 14 जनपदों द्वारा शून्य भुगतान किया गया है। निर्देशित किया गया कि योजना के तहत लाभार्थियों का शत–प्रतिशत भुगतान ससमय करना सुनिश्चित करें।
23. जनपद स्तर पर गठित टी0बी0 फोरम की बैठक कराना सुनिश्चित करें। समस्त सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करें।

वित्तीय समीक्षा–

24. वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि 32 जनपदों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 की बैलेन्स शीट राज्य स्तर पर समेकन हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिससे उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित करने में विलम्ब हो रहा है। निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित जनपद 03 कार्यदिवसों के अन्दर बैलेन्स शीट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
25. निर्देशित किया गया कि मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद में कार्यरत जिला लेखा प्रबन्धकों की समीक्षा अपने स्तर पर करना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया गया कि यदि जिला लेखा प्रबन्धक का कार्य संतोषजनक नहीं है तो जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मिशन निदेशक महोदय को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित कर दें।
26. राज्य स्तर से आवंटित बजट के सापेक्ष अक्टूबर 2019 तक जनपदों द्वारा मात्र 43.70 प्रतिशत ही व्यय किया गया है। निर्देशित किया गया कि दिशा–निर्देशों के अनुसार आवंटित बजट का नियमानुसार उपभोग सुनिश्चित करें।
27. निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 की मासिक ऑडिट रिपोर्ट, त्रैमासिक कान्करेन्ट ऑडिट रिपोर्ट एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 की मासिक ऑडिट रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अन्य निर्देश–

28. निर्देशित किया गया कि जिला स्तरीय चिकित्सालयों में कार्यरत क्वालिटी मैनेजर/हास्पिटल मैनेजर के माध्यम से चिकित्सालयों का Quality Certification करवाना सुनिश्चित करें। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका सुनिश्चित करें कि समस्त कमेटियों का गठन एवं बैठक ससमय सम्पन्न हो जाये तथा इसकी सूचना राज्य स्तर पर प्राप्त हो जाये।
29. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका सुनिश्चित करें कि समस्त जिला स्तरीय चिकित्सालयों का कायाकल्प/एन0क्यू0ए0एस0 प्रमाणीकरण शीघ्रातिशीघ्र करा लिया जाये तथा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी सुनिश्चित करें कि समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 50 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का Quality Certification एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कर लिया जाये।
30. निर्देशित किया गया कि चिकित्सालय, जनपद एवं मण्डल स्तर पर कार्यरत क्वालिटी मैनेजर/हास्पिटल मैनेजर/क्वालिटी कन्सलटेण्ट के द्वारा किये जा रहे कार्यों का सघन अनुश्रवण सुनिश्चित करें।

31. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका सुनिश्चित करें कि चिकित्सालयों में उपलब्ध उपकरणों का समुचित रूप से उपयोग किया जाये।
32. निर्देशित किया गया कि सरकारी चिकित्सालय में होने वाले समस्त जीवित जन्मों का पंजीकरण Civil Registration System में किया जाये। समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका नियमित रूप से इसकी समीक्षा करें तथा शत–प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करायें।
33. समस्त मण्डलीय अपर निदेशकों को निर्देशित किया गया कि विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे समस्त कार्यक्रमों/गतिविधियों का नियमित रूप से निरीक्षण/समीक्षा किया जाना सुनिश्चित करें।
34. निर्देशित किया गया कि यू0पी0 हैल्थ डैशबोर्ड की नियमित रूप से समीक्षा, ब्लाक की परफारमेन्स का विश्लेषण एवं मानव संसाधन की समीक्षा भी सुनिश्चित करें।
35. आर0सी0एच0 पोर्टल पर 85–90 प्रतिशत फीडिंग कराया जाना सुनिश्चित करें। संचालित की जा रही गतिविधियों को दिशा–निर्देशानुसार सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
36. मुख्य चिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद को निर्देशित किया गया कि राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में उपलब्ध सी0बी0नॉट मशीन को जनपद मथुरा में स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें।

अन्त में निर्देशित किया गया कि उपरोक्त समस्त निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें।